पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मानव संसाधन यूनिट)

क्र. सं. 2:02:507 **26 अक्तूबर 2016**

कार्मिक परिपत्र संख्या 09/2016

विषय: पीएफ़सी की स्थानांतरण नीति

पीएफ़सी की स्थानांतरण नीति तैयार करने संबंधी मामला प्रबंधन के विचाराधीन था। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी ने पीएफ़सी की स्थानांतरण नीति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह इसके साथ संलग्न है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी

(राकेश मोहन)
अ. म. प्र. (मा. सं.)

वितरण

1. पीएफ़सी कार्मिक पोर्टल
2. कार्मिक परिपत्र फाइल
3. संबंधित फाइल

प्रतिलिपि :

सीएमडी के पीएस/निदेशक(वित्त)के पीएस/निदेशक (परियोजना) के पीएस/निदेशक (वाणिज्यिक) के पीएस/सीवीओ के ईएस

सीईओ, पीएफ़सीजीईएल/सीईओ पीएफ़सीसीएल एवं पीएफ़सी सीएएस

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक 26 अक्तूबर 2016

पीएफ़सी की स्थानांतरण नीति

1.0 **उद्देश्य**

निगम प्रत्येक कार्मिक की वृद्धि एवं विकास संबंधी आकांक्षाओं को सतत महत्व हुए संगठनात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने, उन्हें पोषित करने और विशेषज्ञता को बनाए रखने तथा सिंक्रोनाइज़ करने के अपने प्रयास में निम्नलिखित की तलाश करेगा

1.1 आवश्यकता एवं अपेक्षा के आधार पर अनुकूलतम उपयोग हेतु जनशक्ति नियुक्त करना (Deploy)

1.2 कार्मिकों को उनसे संबंधित डोमेन में विभिन्न कार्यों में ज्ञान और कौशल विकसित करने और सुधारने के लिए अवसर प्रदान करना

1.3 संवेदनशील पद धारण करने वाले कार्यपालकों की गैर-संवेदनशील पदों पर रोटेशन सुनिश्चित करना

1.4 कार्मिकों एवं उनके पति/पत्नियों की एक स्थान पर तैनाती और उनकी जो अनुरोध पर स्थानांतरण का आग्रह करते हैं

2.0 **कार्यक्षेत्र**

इस नीति में प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों सहित सभी नियमित कार्यपालक, पर्यवेक्षक और वर्कमेन शामिल होंगे।

3.0 **कार्यान्वयन प्रक्रिया**

स्थानांतरण निम्नानुसार विनियमित होंगे:

i) <u>कार्य ग्रहण करने पर</u> (On Joining)

सामान्य तौर पर, किसी कार्मिक को उसके/उसकी अर्हता और अनुभव को ध्यान में रहते हुए उसके/उसकी कार्यग्रहण के समय आवश्यकतानुसार किसी पद पर तैनात/नियुक्त किया जाएगा। ऐसी तैनाती कम से कम तीन वर्षों के लिए रहेगी ताकि उसके कौशल एवं ज्ञान का उपयोग किया जा सके तथा उन्हें विकसित किया जा सके। तदुपरांत उन्हें आवधिक रूप से रोटेट किया जाएगा। अंतर डिवीजन स्थानांतरण यह

सुनिश्चित करने के बाद ही लागू होंगे कि तैनात किए गए संबंधित कार्मिक के पास अपेक्षित अर्हता, कौशल और जिस पद पर उसे स्थानांतरित किया गया है, उस पद के लिए अपेक्षित सक्षमता है। प्रतिनियुक्ति के मामलों में, प्रतिनियुक्त होने वाले कार्मिक और उसके मूल विभाग की सहमति स्थानांतरण के लागू होने से पूर्व लेनी होगी, यदि ऐसे स्थानांतरण में उस स्थान के अतिरिक्त तैनाती शामिल है जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था।

ii) <u>सहायक कंपनियों में स्थानांतरण</u>

सहायक कंपनियों के निगमन और प्रचालन की शुरुआत में इनकी जनशक्ति की जरूरतों में वृद्धि और पूरा करने के लिए, निगम सहायक कंपनी द्वारा अपने कैडर के सृजन और भर्ती होने तक विभिन्न अनुशासनों से कार्मिकों को सेकंडमेंट आधार पर स्थानांतरित करेगा। उनके अपने कैडर का सृजन हो जाने पर, वे कार्मिक जिन्हें सेकंडमेंट आधार पर सहायक कंपनियों में तैनात किया गया है, उनकेपास निगम की सेवाओं में वापसी का विकल्प होगा और रिक्ति की उपलब्धता और सहायक कंपनी और धारक कंपनी की आपसी सहमति के अधीन तैनात किया जाएगा। तथापि, निगम की आवश्यकतानुसार सहायक कंपनियों में तैनात कार्मिकों को मूल कंपनी द्वारा निर्णीत किए अनुसार मूल कंपनी या अन्य कोई सहायक कंपनी में वापस स्थानांतरित किया जा सकता है।

iii) <u>संवेदनशील पद</u>

वे कार्यपालक, जो उन पदों को धारण कर रहे हैं जिन पदों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन कार्यपालकों को आवश्यकता एवं अपेक्षानुसार अनिवार्य रूप से तीन वर्षों के लिए दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जाएगा।

iv) <u>पति और पत्नी की तैनाती</u>

जहां कोई कार्मिक और उसका पति/उसकी पत्नी एक निगम या इसकी सहायक कंपनी में कार्यरत हैं, तो निगम उस कार्मिक और उसके पति/पत्नी को एक स्थान पर तैनात करने के बारे में यथासंभव विचार करेगा। यदि कोई कार्मिक जिसका पति/पत्नी भी राज्य/केंद्रीय सरकारी संगठन/पीएसयू में कार्यरत है तो निगम रिक्ति/संगठन की आवश्यकता की उपलब्धता के अधीन उस कार्मिक को उस स्थान पर तैनात करेगा जहा उस कार्मिक का पति/की पत्नी तैनात है।

v) <u>क्षेत्रीय कार्यालयों/साइट कार्यालयों में तैनाती</u>

क) यदि कोई कार्मिक वर्षों से अधिक समय के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/साइट कार्यालय में तैनात है तो वह कार्मिक कॉर्पोरेट ऑफिस या अन्य कार्यालय में स्थानांतरण के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।

ख) इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आउटस्टेशन स्थानांतरण सत्र के मध्य में न किए जाएं और जहां तक संभव हो स्थानांतरण पदोन्नति पर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किए जाएं। आधिकारिक आवश्यकता होने पर इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

vi) <u>अधिवर्षिता से पहले स्थानांतरण</u>

वे कार्मिक जो अगले वर्ष के भीतर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके पास उनकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण करने का अनुरोध करने का विकल्प होगा, जो रिक्ति की उपलब्धता, निगमित अपेक्षा और अन्य कारकों के अधीन होगा।

vii) <u>अनुरोध पर स्थानांतरण</u>

जहां कोई कार्मिक व्यक्तिगत कारणों से स्थानांतरण की मांग करता है तो, ऐसे स्थानांतरण पर, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा

viii) <u>अस्थायी स्थानांतरण</u>

प्रतिनियुक्ति आधार पर संगठन के भीतर या बाहर अस्थायी पोस्टिंग पर कार्मिक का स्थानांतरण करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इस स्थानांतरण की अवधि के दौरान, वे अपने ग्रेड/स्तर पर यथा लागू वेतन एवं भत्तों के लिए हकदार होंगे तथा सेवा नियमावली के अंतर्गत उन पर यथा लागू सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे। 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ होगा कि कार्मिक की सेवा की निबंधन एवं शर्तों में कोई बदलाव किए बिना वे अन्य संगठन और उसकी सहायक कंपनी के नियंत्रण में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

ix) <u>उत्तर-पूर्व में तैनाती</u>

उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में पदस्थ कार्मिक, डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्व भत्ते, यदि लागू हो, के लिए भी हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्व में स्थानांतरित कार्मिक तीन वर्ष की अवधि के बाद अपनी तरजीह के स्थान में पोस्टिंग के लिए विचारार्थ होंगे बशर्ते वहां रिक्ति/संगठनात्मक अपेक्षा हो।

4.0 **<u>कार्यग्रहण अवधि, टीए/डीए और स्थानांतरण पर सुविधाएं</u>**

जॉइनिंग अवधि, टीए/डीए और स्थानांतरण पर सुविधाएं (लीज/एचआरए सहित) निगम की प्रासंगिक नियमावली द्वारा शासित होंगी।

5.0 **<u>स्थानांतरण पर कार्य-मुक्ति के लिए प्रक्रिया</u>**

सभी कार्मिक जिनके संबंध में स्थानांतरण के आदेश जारी किए जाते हैं, उन्हें आदेश के जारी होने के बाद 7 दिन के भीतर कार्य-मुक्त कर दिए जाएगा तथा उन्हें कार्य-मुक्ति से पूर्व अपने प्रभार का हैंडओवर/टेक ओवर करना अपेक्षित होगा।

6.0 **<u>सक्षम प्राधिकारी</u>**

स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:-

सक्षम प्राधिकारी	विषय
कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)	संबंधित कार्यपालक निदेशकों/निदेशकों की सहमति के बाद अंतरा-विभागीय/प्रभागीय स्थानांतरण के लिए ई-5 स्तर तक के कार्मिकों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
निदेशक (वाणिज्यिक)	संबंधित निदेशकों की सहमति के बाद अंतरा-विभागीय/प्रभागीय स्थानांतरण के लिए ई-8 स्तर तक के कार्मिकों के संबंध में पूर्ण शक्तियां संबंधित निदेशकों की सहमति के बाद अंतरा-प्रभागीय स्थानांतरण के लिए ई-8 स्तर तक के कार्मिकों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्ण शक्तियां

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर मानव संसाधन यूनिट कार्यालय आदेश जारी करेगी।

7.0 **सामान्य**

कार्मिकों को सेवा की आवश्यकताओं और कार्मिक की उस पद के लिए उपयुक्तता, जिस पद पर उसे स्थानांतरित किया जाता है, को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के विवेक पर भारत में/विदेश में कहीं भी और एक कार्य/विभाग/अनुभाग/जॉब से दूसरे कार्य/विभाग/अनुभाग/जॉब में स्थानांतरित किया जा सकता है।

किसी कार्मिक को प्रबंधन के विवेक पर भारत में सरकार के किसी विभाग या किसी पीएसयू या विदेश में में प्रतिनियुक्ति पर/विदेश सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते ऐसे स्थानांतरण पर कुल निबंधन एवं शर्तें समग्रता में उस कार्मिक के लिए निगम में लागू उन शर्तों से निम्न नहीं होंगी जो स्थानांतरण से ठीक पहले थीं।

इस नीति के किसी या सभी प्रावधानों के निर्वचन, आशोधन, संशोधन, या हटाने और वापस लेने का अधिकार सीएमडी के पास है।

(राकेश मोहन)
अपर महाप्रबंधक (मा सं)